न्यायालय जिला कलेक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2026 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 37 / 2026	2026 / 65	13.04.026	22.4.2026

1. श्रीमती तरविन्दर कौर
2. डॉ0 सरजीत हैराल्ड (पुत्र)
3. श्रीमती मोनिका हैराल्ड (पुत्रवधू)

अपीलार्थीगण

बनाम

डोनाल्ड सुनील कुमार

प्रत्यर्थी

विषय–वरिष्ठ नागरिक एवं माता–पिता भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 16 के अंतर्गत, न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खैरथल द्वारा प्रकरण संख्या 81 / 2025 में पारित आदेश दिनांक 30.12.2025 के विरुद्ध अपील।

आदेश

अपीलार्थीगण द्वारा धारा 16, वरिष्ठ नागरिक एवं माता–पिता भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील पर अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा उपलब्ध आधारों पर विचार किया गया।

अपीलार्थीगण का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.12.2025 का आदेश बिना समुचित तथ्यों, उपलब्ध अभिलेखों एवं पक्षकारों के प्रतिवाद पर विचार किए पारित किया गया। यह भी कहा गया है कि आदेश कारणविहीन, अश्रुत, अविवेचित एवं Non & Speaking प्रकृति का है। अपीलार्थी संख्या 1 ने यह कथन किया है कि वह प्रत्यर्थी की विधिवत पत्नी है, परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा उसके प्रति दीर्घकाल से उपेक्षा, मानसिक एवं शारीरिक क्रूरता की गई, जिसके कारण उसे पृथक वैधानिक कार्यवाहियाँ करनी पड़ीं। अपीलार्थी संख्या 2 के संबंध में यह कहा गया है कि उसने शिक्षा एवं जीवन–निर्वाह स्वयंध्मातृ पक्ष के सहयोग से किया, प्रत्यर्थी ने उसका पालन–पोषण नहीं किया, और बाद में भी पक्षकारों के मध्य आर्थिक एवं पारिवारिक विवाद पृथक समझौते का विषय रहे। अपीलार्थी संख्या 3 के संबंध में यह प्रतिवाद लिया गया है कि उसका प्रत्यर्थी के साथ प्रत्यक्ष संबंध अथवा दायित्व स्थापित नहीं है।

अपीलार्थीगण ने यह भी कहा है कि पक्षकारों के मध्य पूर्व में समझौता, पृथक निवास, तलाक / अन्य वैवाहिक वाद तथा वित्तीय लेन–देन संबंधी दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिनका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित परीक्षण किए बिना आदेश पारित कर दिया गया। उनके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्येक अपीलार्थी की वैधानिक स्थिति, प्रत्यर्थी की स्वयं की आय एवं निर्वाह–सामर्थ्य, पूर्व समझौतों की शर्तें, पृथक निवास की वास्तविक स्थिति तथा संबंधित दस्तावेजों का स्वतंत्र मूल्यांकन करना आवश्यक था।

मैंने अपील में वर्णित आधारों, उपलब्ध अभिलेखों तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का परीक्षण किया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यह प्रदर्शित नहीं करता कि प्रत्येक अपीलार्थी की पृथक भूमिका, दायित्व, उत्तरदायित्व तथा प्रत्यर्थी की आर्थिक, पारिवारिक एवं वैधानिक स्थिति पर समुचित एवं विशिष्ट विचार किया गया हो। ऐसा भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं होता कि उपलब्ध दस्तावेजों, पूर्व समझौतों, पृथक निवास, वैवाहिक विवादों, तथा कथित वित्तीय सहायताध्असहायता से संबंधित सामग्री का समुचित विश्लेषण किया गया हो। किसी भी भरण–पोषणध्कल्याण संबंधी आदेश का आधार स्पष्ट तथ्यान्वेषण, कारणयुक्त निष्कर्ष तथा प्रासंगिक सामग्री का विचार होना चाहिए।

विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि न्यायिक अथवा अर्ध–न्यायिक आदेश कारणयुक्त होना चाहिए। कारणयुक्त आदेश ही यह दर्शाता है कि न्यायालय ने पक्षकारों की दलीलों, आपत्तियों एवं अभिलेखीय सामग्री का वास्तविक परीक्षण किया है। यदि आदेश में आवश्यक कारणों का अभाव हो, या यह न दर्शाया

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

गया हो कि किन तथ्यों एवं विधिक आधारों पर निष्कर्ष निकाला गया, तो ऐसा आदेश अपीलीय परीक्षण में टिकाऊ नहीं माना जाता।

वर्तमान प्रकरण में, उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी संख्या 1, 2 एवं 3 के संबंध में पृथक–पृथक वैधानिक परीक्षण करना अपेक्षित था। विशेष रूप से यह देखना आवश्यक था कि किस व्यक्ति पर अधिनियम के अंतर्गत दायित्व विधिसम्मत रूप से बनता है, प्रत्यर्थी की अपनी आय/संपन्नता की स्थिति क्या है, पूर्व समझौते का प्रभाव क्या है, तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणिक महत्व क्या है। इन बिंदुओं पर स्पष्ट, ठोस और कारणयुक्त निष्कर्ष अभावग्रस्त प्रतीत होते हैं।

अतः न्यायहित में यह उचित प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30.12.2025 निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनर्विचारार्थ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाए, ताकि सभी पक्षकारों को पूर्ण अवसर देकर, उपलब्ध दस्तावेजों, पूर्व समझौतों, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंधों तथा अधिनियम के दायरे का विधिसम्मत परीक्षण कर, कारणयुक्त एवं चमांपदह वतकमत पारित किया जा सके।

आदेश

01. अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।
02. न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खैरथल द्वारा प्रकरण संख्या 81/2025 में पारित आदेश दिनांक 30.12.2025 निरस्त किया जाता है।
03. प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ पुनर्विचारार्थ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाए, उनके दस्तावेज एवं आपत्तियाँ अभिलेख पर लेकर, प्रत्येक अपीलार्थी की वैधानिक स्थिति एवं दायित्व पर पृथक विचार कर, विधि अनुसार कारणयुक्त निर्णय पारित किया जाए।
04. अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण का निस्तारण यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से उचित अवधि में करे।
05. पक्षकार नियत तिथि पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों।
06. इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित अधीनस्थ न्यायालय को आवश्यक अनुपालनार्थ प्रेषित की जाए।

आदेश घोषित।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलेक्टर/अपीलीय प्राधिकारी
खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)